संख्या– 372/एक–11–2021–पि0न0–4/2006

प्रेषक,

राम केवल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक :07 जून, 2021**

विषयः राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित 02 लैण्डलाइन टेलीफोन नम्बरों व प्रदेश के विभिन्न विभागों में राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से संचालित सी0यू0जी0 नम्बरों के बिल भुगतान हेतु अग्रिम धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 2412/रा0आ0का0/टेली0 पत्रा0/2021–22 दिनांक 24–05–2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित कन्ट्रोल रूम में भारत संचार निगम लि0 के 02 लैण्डलाइन नम्बर क्रमशः 0522–2235121 एवं 0522–2217721 तथा राजस्व विभाग तथा आपदा से जुड़े हुए अन्य विभागों में 945441 एवं 945444 सीरीज के सी0यू0जी0 नम्बरों के माह अप्रैल, 2021 से मार्च,2022 (कुल 12 माह) के बिल के भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 1,15,84,680/– (एक करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र) अग्रिम रूप से राहत आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। विवरण निम्नवत है:–

क्र0सं0	टेलीफोन न0	मासिक भुगतान की जाने वाली धनराशि (लगभग)रूपये।	माह अप्रैल 2021 से माह मार्च 2022 (कुल 12 माह) तक की अनुमानित धनराशि, रूपये।
1	0522–2235121	390/–	रू0 4,680/–
2	0522–2217721	15,000/–	रू0 1,80,000/–
3	1801–180–5222 (सी0यू0जी0 नम्बर) कुल संख्या–3863	9,50,000/–	रू0 1,14,00,000/–
कुल धनराशि			**रू0 1,15,84,680/–**

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा । अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का राहत आयुक्त कार्यालय पर लेखा–जोखा रखा जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–02/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत– आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या–372(1)/एक–11–2021–पि0न0–4/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी राहत आयुक्त संगठन।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6. राजस्व अनुभाग–10।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।